

**राजस्थान सरकार**  
**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,**  
**खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।**

क्रमांक F 02 (08) खा.वि./स्था.प्र./2015/02181

जयपुर, हस्ताक्षरित दिनांक

**आदेश**

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 03 (02) खा.वि./ स्था.प्र./ 1997-II, दिनांक 11.12.2020 को अतिक्रमित करते हुए विभागीय संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त (प्रथम एवं द्वितीय) RAS, विभागीय उपायुक्त (तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम), सहायक आयुक्त (प्रथम) RAS, विभागीय सहायक आयुक्त (द्वितीय) एवं जिला रसद अधिकारी (सतर्कता / उपार्जन / रिट्स), खाद्य विभाग, मुख्यालय के कार्यों का विभाजन एवं लिंक अधिकारी निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	पद का नाम	शाखा / कार्य	लिंक अधिकारी
01	संयुक्त आयुक्त (विभागीय)	विभागीय सलाहकार (माननीय खाद्य मंत्री महो.)	--
02	उपायुक्त (प्रथम) संयुक्त शासन सचिव (RAS)	एन.एफ.एस.ए., एवं खाद्यान्न आवंटन	उपायुक्त (द्वितीय) उप शासन सचिव (RAS)
03	उपायुक्त (द्वितीय) उप शासन सचिव (RAS)	न्याय, केरोसीन, एल.पी.जी., चीनी, एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली	उपायुक्त (प्रथम) संयुक्त शासन सचिव (RAS)
04	उपायुक्त (तृतीय) विभागीय	लोकसभा/विधानसभा/राज्य सभा तथा विभिन्न आयोगों से सम्बंधित कार्य	उपायुक्त (चतुर्थ) विभागीय
05	उपायुक्त (चतुर्थ) विभागीय	भण्डार, पुस्तकालय एवं भुगतान	उपायुक्त (तृतीय) विभागीय
06	उपायुक्त (पंचम) विभागीय	संपर्क पोर्टल, जन आभाव अभियोग से प्राप्त होने वाले प्रकरण, सी.एम.आई.एस. पोर्टल, सी.एस. पोर्टल (क्लियर्स / पिंक लेटर्स), भारत सरकार से प्राप्त परिवाद	उपायुक्त (षष्ठम) विभागीय
07	उपायुक्त (षष्ठम) विभागीय	बैठकों से सम्बंधित समस्त कार्य	उपायुक्त (पंचम) विभागीय
08	सहायक आयुक्त (RAS) (प्रथम)	स्थापना (मुख्यालय / प्रवर्तन) एवं विभागीय जांच	सहायक आयुक्त विभागीय (द्वितीय)
09	सहायक आयुक्त विभागीय (द्वितीय)	आर.टी.आई., ए.सी.आर., प्रशिक्षण एवं निरीक्षण	सहायक आयुक्त (RAS) (प्रथम)

**Signature valid**

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar  
Designation : Additional Commissioner  
Date: 2024.10.24 17:59:58 IST  
Reason: Approved



क्र.सं.	पद का नाम	शाखा / कार्य	लिंक अधिकारी
10	जिला रसद अधिकारी (प्रथम)	सतर्कता	उपार्जन
11	जिला रसद अधिकारी (द्वितीय)	उपार्जन	रिट्स
12	जिला रसद अधिकारी (तृतीय)	रिट्स	सतर्कता

1. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त उपरोक्त अधिकारियों का सुपरविजन करने के साथ-साथ सांख्यिकी शाखा एवं विधि शाखा का कार्य भी सीधे तौर पर देखेंगे |
  2. उपायुक्त (तृतीय) अपने कार्य के साथ-साथ उपायुक्त (चतुर्थ / पंचम / षष्ठम) का पदस्थापन होने / अग्रिम आदेशों तक कार्य संपादित करेंगे |
  3. सहायक आयुक्त (द्वितीय) अपने कार्य के साथ-साथ जिला रसद अधिकारी, उपार्जन के पदस्थापन होने / अग्रिम आदेशों तक कार्य संपादित करेंगे |
- उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है |

(पूनम प्रसाद सागर)  
अतिरिक्त आयुक्त (खाद्य)

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर |
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर |
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर |
4. समस्त अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर |
5. समस्त, जिला रसद अधिकारी, राजस्थान |
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें |
7. रक्षा पत्रिका |

**Signature valid**

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar  
Designation : Additional Commissioner  
Date: 2024.10.24 17:59:58 IST  
Reason: Approved